7 जनवरी, 2012 को 1245 बजे गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने के अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण

मैं आपके नए परिसर का उद्घाटन करने के लिए आज आपके बीच उपस्थित होकर प्रसन्न हूँ। छह वर्षों की अल्प अवधि में शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और व्यापक गतिविधियों में सतत प्रगति के माध्यम से गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एक विश्वस्तरीय विधि विश्वविद्यालय बनने के अपने स्वप्न को साकार करने के पथ पर अग्रसर है।

मैं निजी और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि, विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी अध्ययन, पर्यावरणीय विधि और जलवायु परिवर्तन जैसे विशेषीकृत क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने हेतु आपकी पहल की सराहना करता हूँ। बकाया, मामलों की संख्या कम करने में पेशेवर लोगों, न्यायपालिका और सरकार को सहायता प्रदान करने संबंधी आपके प्रयास उतने ही प्रभावकारी हैं।

यहां इस संबंध में, संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश फैलिक्स फ्रैंकफर्टर द्वारा 1927 में की गई समुक्ति को स्मरण करना तर्कसंगत होगा कि: "विश्लेषण के रूप में अंततः विधि का स्वरूप वही होता है जैसे अधिवक्ता होते हैं और विधि तथा अधिवक्ता वैसे ही होते हैं, जैसा उन्हें विधि विद्यालयों द्वारा बनाया जाता है।"

यह वक्तव्य आज भी उतना ही वैध है। इसके अंतर्गत लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से संचालित करने और विधि शासन को बनाए रखने हेतु विधिक शिक्षा के केंद्रीय महत्व पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विधिक शिक्षा संबंधी कार्य समूह द्वारा भी ऐसा ही मत व्यक्त किया गया था। इसका मत था कि "विधिक शिक्षा का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित मूल्यों को साकार करने हेतु न्याय अभिमुखित विधिक शिक्षा को सुनिश्चित करना है" और इसके अतिरिक्त, "विधिक शिक्षा के द्वारा व्यावसायिक आचार संबंधी उच्चतम मानकों का अनुपालन करने और लोक सेवा की भावना की आवश्यकता को भी अवश्य ही आत्मसात किया जाना चाहिए"।

कार्य समूह ने महसूस किया कि अब विधिक पेशेवरों की भूमिका का विस्तार न्यायालयों में अधिवक्ताओं की सीमा से बाहर हो गया है जिसमें विधायिका के सदस्य, न्यायाधीश, नीति-निर्माता, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं सहित निजी क्षेत्र के विधिक परामर्शदाता भी सम्मिलित हैं।

अत:, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, विधि विद्यालयों की भूमिका और सार्वजनिक कार्य में भारी बदलाव आया है। 'बार' की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, विधि विद्यालयों से व्यापार एवं वाणिज्य तथा अलाभकारी कार्यों के लिए गैर-पेशेवर विधि स्नातकों की बढ़ती मांग को पूरा करने की आशा की जाती है। इस पहलू को स्नातक बनने जा रहे छात्रों के अधिमान में प्रदर्शित किया जाता है।

अधिवक्ताओं की बदलती भूमिका पर विचार करते हुए सितम्बर 1990 में हवाना में अपराध निवारण एवं अपराधियों के साथ व्यवहार संबंधी आठवीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस द्वारा स्वीकृत "अधिवक्ताओं की भूमिका संबंधी मूल सिद्धांत" का

उल्लेख करना उपयोगी होगा। उनत्तीस सिद्धांतों में से पांच को निम्न प्रकार से दोहराया जा रहा है:

1. सभी व्यक्तियों को अपने अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें स्थापित करने तथा उनका बचाव करने के लिए अपनी इच्छानुसार किसी वकील की सहायता प्राप्त करने का हक है।

2. सभी सरकारें अपने क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बिना किसी प्रकार के भेदभाव के वकीलों की कारगर और समान उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

3. सभी सरकारें गरीबों और अन्य सुविधाहीन व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा प्रदान करने हेतु समुचित वित्तपोषण एवं अन्य संसाधन मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगी। इस संबंध में वकीलों का पेशेवर संघ उनकी सहायता करेगा।

4. सभी सरकारें और वकीलों का पेशेवर संघ कानून के अंतर्गत लोगों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा उनकी मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में वकीलों की भूमिका के महत्व के प्रति सजग बनाने के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। गरीबों और अन्य सुविधाहीन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।

5. अपने मुवक्किलों के अधिकारों की रक्षा करने तथा न्याय के उद्देश्य को प्रोत्साहित करते हुए, वकील राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे और सर्वदा कानून तथा कानूनी पेशे के मान्यता प्राप्त मानकों और आचारों के मुताबिक स्वतंत्रतापूर्वक और कर्मठतापूर्वक कार्य करेंगे।

देवियो और सज्जनो

हमारे कानूनी और न्यायिक परिदृश्य पर एक नजर डालने पर हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं:

- क्या हमारी विधिक और न्यायिक प्रणाली प्रत्येक नागरिक, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को न्याय दिलाने में सक्षम है? क्या गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवा की लागत आम आदमी की पहुंच से बाहर होने के कारण ठोस न्याय तक सहज रूप से पहुँच कम होती जा रही है? क्या विधिक ज्ञान का अधिक से अधिक प्रयोग अमीरों के लिए हो रहा है?
- क्या विधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों का लोक सेवा में रूझान तथा सामाजिक सरोकार है? क्या हमारे विधि विद्यालयों में शिक्षार्थियों में यह रूझान विकसित किया जा रहा है?
- क्या हम उसे न्याय कह सकते हैं जिसे पाने में दो या तीन दशक लग जाते हैं?

सबसे पहले हम अंतिम मुद्दे को लेते हैं। आज उच्चतम न्यायालय में 56,000 से भी अधिक मामले लंबित हैं जिनमें से लगभग 36,000 बकाए मामले हैं जो एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं। 31 दिसम्बर, 2010 तक उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 3.2 करोड़ के आसपास थी, जिनमें से लगभग 85 लाख मामले पांच वर्षों से भी अधिक पुराने हैं।

न्याय मिलने में होने वाले विलंब के कारण हमें पता हैं। मामलों में अत्यधिक स्थगन एक प्रमुख कारण है। इसके अन्य कारण हैं-संसाधनों और क्षमता की कमी,

वकीलों के जटिल और लंबे तर्क-वितर्क, न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, रिक्त पदों को भरने में विलंब तथा न्यायालय में कुछ सदस्यों में काम का असंगत केन्द्रीकरण।

इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक विवाद समाधान उस सीमा तक सफल नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में शिव कोटेक्स बनाम त्रिगुण ऑटो मामले में तुच्छ कारणों के लिए बार-बार स्थगनादेश दिए जाने पर दुःख प्रकट किया था। माननीय न्यायाधीशों ने कहा, "यह दुखद परन्तु सच है कि वादी बात-बात पर स्थगनादेश चाहते हैं - और न्यायालय दे भी देते हैं। स्थगनादेश कैंसर की तरह बढ़ चुके हैं जो न्याय वितरण प्रणाली की पूरी व्यवस्था को ही खाते जा रहे हैं।"

तथापि थोड़ा आशावादी बने रहने के कारण हैं। सरकार ने इस व्यवस्था में विलंब और बकाया मामलों को कम करके न्याय तक लोगों की पहुंच को बढ़ाने और संरचनागत परिवर्तनों के माध्यम से तथा निष्पादन मानक स्थापित करके प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने के दो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष 'राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन' की स्थापना को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय मिशन के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार करने के लिए एक मिशन रूपी दृष्टिकोण अपनाने प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना के लिए केन्द्रीय वित्तपोषण की बढ़ी हुई राशि भी उपलब्ध करा दी है और 2010-15 के बीच पांच वर्षों की अवधि के दौरान न्याय वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपये का अनुदान देने के तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें भी स्वीकार कर ली हैं। सरकार ने 935 करोड़ रुपये की लागत से और इस वर्ष मार्च तक 12000 न्यायालयों

को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 'ई-न्यायालय परियोजना' का कार्यान्वयन करना और बड़े न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को उन्नत करने का कार्य भी शुरू कर दिया है।

मित्रो

नागरिकों, विशेषकर गरीब और सुविधाहीन लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने के संवैधानिक वचन को पूरा करने के संबंध में हमारी प्रगति अभी उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। अनेक दृष्टांतों में, राज्य ही वह सबसे बड़ा और चिरकालिक वादी है जो नागरिकों और व्यवसायों को बड़े और अनुमानित घाटे झेलने को मजबूर कर रहा है क्योंकि मामले न्याय वितरण प्रणाली के भूलभुलैये में लम्बे समय तक लटके रहते हैं। मामलों के समाधान में लम्बा समय लगने की निश्चितता और कानूनी प्रक्रिया को चलाए रखने के लिए लगने वाली भारी लागत के कारण बड़े कारपोरेट और व्यावसायिक घरानों को इस बात के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिल गया है कि वे दीवानी मामलों में कानूनी कार्रवाई की धमकी दे सकें और कार्रवाई चला सकें। प्राय: नागरिक अकेले तथा उनके बीच के गरीब और हाशिए पर लाए गए व्यक्ति ही अपर्याप्त या अस्तित्वहीन वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र तथा लम्बी खिंचने वाली न्यायिक प्रक्रिया का नुकसान झेलते हैं।

वादियों, जिनमें से कुछ भारतीय संदर्भ में अति उत्साही हैं, ने अपने कार्यों की बाह्यताओं को पूर्णत: अपने भीतर समाहित नहीं किया है, विशेषकर इसलिए कि न्याय के वितरण में अत्यधिक विलम्ब होता है और इसलिए कि वे उस नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी से बच निकलते हैं जो वे अपने बाद के अन्तिम चरण पर खड़े लोगों और उनके साथ-साथ लोकहित को भी पहुंचाते हैं। एक प्रभावी अपकार विधि का

निवारक प्रभाव विरले ही महसूस किया जाता है और यह नागरिकों के लिए हानिकर रहा है।

मौलिक अधिकारों, जिनके उल्लंघन को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, को छोड़कर विधिक अधिकारों, विशेषकर सिविल विधिक अधिकारों को न्यायिक विलंब का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जहां आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति टिके रहने की अधिक शक्ति रखते हैं और अपने आर्थिक हितों एवं संपत्तियों की रक्षा करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ विधिक संसाधनों एवं ज्ञान को प्राप्त करने तथा इस्तेमाल में सक्षम होते हैं, वहीं गरीब लोग विधिक चुनौतियों से अधिकार की अल्प वस्तुओं और संपत्तियों की रक्षा करने के लिए और अधिक गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विधिक एवं सांविधिक अधिकारों की रक्षा करना जो कि मौलिक अधिकार नहीं है, अधिक समय लेने वाला एवं खर्चीला है तथा गरीबों के विरूद्ध कार्य करता है।

मामले का एक अन्य पहलू भी है। यह इस व्यवसाय के आचारशास्त्र से संबंधित है। भारत के विधि आयोग ने अगस्त 2009 के अपने प्रतिवेदन सं. 230 में अग्रदृष्टि रखते हुए यह उल्लेख किया है कि "अधिवक्ताओं की आचार नीति भी संदेहास्पद हो गयी है।" प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि यद्यपि एक विधिज्ञ परिषद् होती है जिसे अधिवक्ताओं की आचार नीति की देखरेख करना होता है, परन्तु इसने "कदाचित दागी अधिवक्ताओं के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है।"

आत्मविश्लेषण की आवश्यकता अनिवार्य है और इससे वास्तविक कार्यों में आचारगत नवीकरण होना चाहिए।

मित्रो

शिक्षण एवं अनुसंधान के अलावा शैक्षणिक क्षेत्र विधिक पेशेवरों के बीच व्यावसायिक उत्तरदायित्व, आचारगत व्यवहार और सार्वजनिक एवं समुदाय-सेवा की संस्कृति को आत्मसात करने के लिए एक कार्य-क्षेत्र है। यह ऐसा स्थान है जो इस पेशे में आने वाले युवाओं को विधि के क्षेत्र में कार्य करने के मामले में सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराता है और विधिक संस्थानों के सामाजिक कार्यों पर जोर देता है। यहां युवा छात्रों का व्यवहार अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के रूप में उनकी भावी जीवन-वृत्ति (करियर) के लिए मार्गदर्शी प्रकाश होता है। यही जगह है जहां किसी को यह महसूस करवाना चाहिए कि विधिक पेशा सहायक एवं देखभाल करने वाला होना चाहिए, न कि स्वार्थी अथवा दमनकारी।

मुझे विश्वास है कि गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अपने स्नातकों को समुदाय एवं जन सेवा की संस्कृति को आत्मसात करने के लिए तथा व्यावसायिक उत्कृष्टता एवं नैतिक आचार पर जोर देने हेतु एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका अपनाने के लिए प्रवृत्त करेगा।

आज के समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं, मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय के निदेशक को धन्यवाद देता हूं तथा यह कामना करता हूं कि आपको भविष्य में आपके प्रयासों में हर तरह की सफलता मिले।

****